



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277096
CG-DL-E-13102026-277096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5390]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2026/आश्विन 20, 1948

No. 5390]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2026/ASVINA 20, 1948

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5604(अ).— इस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. संख्या 322 (E) दिनांक 08.07.2026 के क्रम में, अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के नियम 7 के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री योगेश खन्ना, सदस्य (न्यायिक), का कार्यकारी अध्यक्ष, एनसीएलएटी के रूप में कार्यकाल दिनांक 05.10.2026 से तीन महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष नियुक्त होने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. ए-12023/4/2025-प्रशा. IV-एमसीए]

अनिता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2026

S.O. 5604(E).— In continuation of this Ministry's Notification S.O. No. 322 (E) dated 08.07.2026, the term of office of Justice (Retd.) Shri Yogesh Khanna, Member (Judicial), National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT), as officiating Chairperson, NCLAT in terms of Rule 7 of Tribunal (Conditions of

Services) Rules, 2021 is further extended for a period of 3 months with effect from 05.10.2026 or until a regular Chairperson is appointed or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-12023/4/2025-Ad.IV-MCA]

ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.